मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–33.8 डि.से.		सूर्योदय– 6:12
न्यूनतम– 24.8 डि.से.		सूर्यास्त– 18:13

पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा अपमान नहीं सहेंगे

मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा का प्रदर्शन

केजरीवाल आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान भाजपा का झंडा लहराते कार्यकर्ता।
फोटो : अरुष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 सितंबर।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता अपने साथ बैनर, पोस्टर व तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस प्रदर्शन की अगुआई पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष मनीष सिंह ने की। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि अगर दिल्ली में 'एनआरसी' लागू होता है, तो सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिल्ली से जाना होगा।

यह प्रदर्शन चंदगीराम अखाड़े से शुरू हुआ और जब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े तो उन पर पुलिस ने पानी से बौछारें की और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बाद में जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो इन्हें बसों मे भरकर नजदीक के पुलिस थाने ले जाया गया। मनीष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के नेता मनोज तिवारी के लिए अपमान भरे शब्द कहे हैं। वे उनकी तुलना बांग्लादेशी व रोहिंग्यों के साथ कर रहे हैं, जो पूरे पूर्वांचल का अपमान है। इस प्रदर्शन में युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष गौरव खारी, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम पाराशर झा समेत अन्य नेता व पदाधिकारी भी शामिल हुए।

केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज

एनआरसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर बुधवार को भाजपा ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई है। शिकायत भाजपा नेता कपिल मिश्र और मीडिया सेल के प्रमुख नीलकांत बक्शी की तरफ से दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि इसके माध्यम से अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। भाजपा ने मांग की है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

'साहित्य के जरिए बच्चों को गुणी बनाएं'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 सितंबर।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि साहित्य के जरिए बच्चों को गुणी बनाने की जरूरत है। यह काम साहित्यकार और लेखक बखूबी कर सकते हैं। सिसोदिया उर्दू अकादमी की ओर से आयोजित 'बच्चों के साहित्य अदब-ए-एतफाल सिम्ट-ओ-रफतार' सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उर्दू साहित्य के लेखकों को सम्मानित भी किया। सिसोदिया के अलावा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष शेहर रसूल, गुल बूटे पत्रिका के संपादक फारूक सैय्यद भी मौजूद थे।

सिसोदिया ने कहा कि बच्चों के साहित्य की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। हमें बच्चों के लिए कहानियां लिखते समय 'बाल मन' को समझना जरूरी है। परियों की कहानियों के बारे में लिखते हुए हमारे बच्चों में झूठी उम्मीदें पैदा होती हैं, इसकी जगह हम सच्चाई व वास्तविकता को भी आगे ला सकते हैं।

'आप' ने संजय सिंह को बनाया चुनाव प्रभारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 सितंबर।

आम आदमी पार्टी (आप) ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के लिए चुनाव प्रभारी बनाया है। बुधवार को 'आप' संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। संजय सिंह पार्टी की स्थापना से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं, संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया है कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता चुनाव अभियान में बतौर निदेशक कामकाज देखेंगे।

संसदीय बोर्ड ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। 'आप' ने फैसला किया है कि ये विधानसभा चुनाव वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किए गए बेहतरीन कार्यों के आधार पर लड़े जाएंगे। जिन योजनाओं पर पार्टी जनता के बीच लेकर जाएंगी उनमें 200 यूनिट तक हर माह बिजली मुफ्त, सीसीटीवी लगाने की योजना, हर घर को प्रति माह 20 हजार लीटर पानी, मोहल्ला क्लीनिक आदि शामिल हैं।

'आप' ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में भी 2015 के प्रदर्शन को दोहराएगी। सरकार ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व जलापूर्ति के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं।

शिक्षा के लिए किसी नीति की आवश्यकता ही नहीं : प्रो. सिंह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 सितंबर।

शिक्षा के लिए किसी नीति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नियमों और नीतियों में बांधकर शिक्षा का भला नहीं हो सकता है। ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी चुनौतियां' विषय पर आयोजित एक सेमीनार में कहीं। सेमीनार में राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के महासचिव विनीत जोशी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सह सचिव डॉ अर्चना ठाकुर और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा भी मौजूद थे।

प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्राचीन काल में जब हमारे देश में तक्षशीला और नालंदा जैसे विख्यात विश्वविद्यालय थे तो उस समय हमारे देश में कोई शिक्षा नीति नहीं थी। इतना ही नहीं दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों हावर्ड, एमआइटी, प्रिंसटन आदि भी बिना किसी शिक्षा नीति के महान बने हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के प्रमुख डॉक्टर कस्तुरीरंग ने उन्हें शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए कहा तो उन्होंने कस्तुरीरंगन से कहा था कि मैं नीतियां बनाने में यकीन नहीं रखता हूं। उन्होंने यूजीसी से आग्रह किया कि वह नियामक की जगह समर्थक की भूमिका निभाए।

विनीत जोशी ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए मानक तय कर रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बजाए होना यह चाहिए कि स्कूल के 12 सालों में बच्चे को जीवन कौशल सिखाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से आग्रह करना चाहिए कि शिक्षा नीति के बाद अन्य नीतियों को भी उसकी के मुताबिक बदलना चाहिए।

जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों के विरोध में सिख युवकों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 सितंबर।

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद से लागू पाबंदियों को हटाने की मांग को लेकर सिख युवकों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रकाबगंज गुरुद्वारा से जंतर मंतर की ओर मार्च निकाला।

हालांकि पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में रोक लिया क्योंकि इसके लिए उन्होंने जरूरी अनुमति नहीं ली थी। जंतर मंतर की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ा।

Petronet LNG Limited

पंजी. कार्यालयः वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23411411, फैक्सः 011-23472550, CIN:L74899DL1998PLC093073
ईमेलः investors@petronetlng.com, कम्पनी की वेबसाइटः www.petronetlng.com

सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में लागू होने वाले अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्याज का भुगतान करने के साथ ही साथ विमोचन के लिये लाभ भोगी स्वामित्व की अधिकारिता पर विचार करने के लिये निम्न विवरणों के अनुसार अभिलिखित तिथि निर्धारित की गई है।

रु.600 करोड़ के लिये 5 वर्षों की अवधि के लिये आईएसआईएन–आईएनई 347 जी 08035 अर्थात् 9.05% अप्रतिभूत विमोचनीय कर–योग्य गैर–रुपांतरणीय डिबेन्चर्स (एनसीडी) (श्रृंखला II) (ऑप्शन II)

अभिलिखित तिथिः 10 अक्टूबर, 2019

उपरोक्त अभिलिखित तिथि के संदर्भ में एनएसडीएल तथा सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभभोगी स्वामित्व के विवरणों के आधार पर 28 अक्टूबर, 2018 से 24 अक्टूबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक की अवधि के लिये ब्याज का भुगतान 25 अक्टूबर, 2019 को किया जायेगा।

पुनः, ऊपर वर्णित एनसीडी'ज का विमोचन उक्त अभिलिखित तिथि के संदर्भ में एनएसडीएल एवं सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभभोगी स्वामित्व के विवरणों के आधार पर 25 अक्टूबर, 2019 को किया जायेगा। अभिलिखित तिथि तथा विमोचन की तिथि के बीच डिबेन्चरों में ट्रेडिंग निलम्बित रहेगी।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के लिये
हस्ता.
(राजन कपूर)
सीजीएम एवं वाईस प्रेसिडेंट–कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24 सितम्बर, 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः मेरठ रोड, सेहानी गाँव, गाजियाबाद, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ रोड, सेहानी गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **18/06/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग,** पताः सी–234, लोहिया नगर, गाज़ियाबाद **गारंटरः श्री मोहन लाल गर्ग,** सी–234, लोहिया नगर, गाज़ियाबाद, उ0प्र0, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.7,35,725/– (सात लाख पैंतीस हजार सात सौ पच्चीस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 21.09.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.7,35,725/– (सात लाख पैंतीस हजार सात सौ पच्चीस रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मरेठ रोड, सेहानी, गाज़ियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग के नाम में फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. सी–234, एल.आई.जी. जो लोहिया नगर, जीडीए आवासीय कालोनी गाज़ियाबाद में स्थित। 120.96 वर्ग मीटर का क्षेत्र, कवर्ड क्षेत्र 50.72 वर्ग मीटर एवं खुला क्षेत्र 70.24 वर्गमीटर, सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरा है:

उत्तरः मकान नं.सी–235 **दक्षिणः** मकान नं.सी–233
पूर्वः रोड 9.15 मीटर चौड़ी **पश्चिमः** मकान नं.सी–200

स्थानः गाज़ियाबाद
तिथिः 21.09.2019

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया